FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0074 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/05/2024 19:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 06/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:50 बजे **Time To (समय तक):** 12:04 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/05/2024 **Time (समय):** 17:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/05/2024 19:21:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 7 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** JAN SHIKSHAN SANSTHAN, AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHAILENDRA KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ROSHAN LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1970 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RAJEEV COLONY, VAISHALI NAGAR, CHRISTIANGANJ, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RAJEEV COLONY, VAISHALI NAGAR, CHRISTIANGANJ, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9413228375

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHWETA AANAND		पति:AANAND FAILIX	1. 349,KRAEST RAJA AASHRAM,MADAR,AJMER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि बीस हजार रूपये	20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. अजमेर विषयः- रिश्वत मांगने के संबंध में महोदय,निवेदन है कि मैं शैलेन्द्र कुमार, भारत सरकार के कौशल विकास एंव उधम्ति मत्रांलय, नई दिल्ली के अधीन कार्यरत जन शिक्षण संस्थान, अजमेर मे हिन्दी आशुलिपिक (मूल पद) के रूप में कार्यरत हूं। पूर्व में दिनांक 18/03/1993 मे श्रमिक विधापीठ, अजमेर मे मेरी नियुक्ति हुई थी। इसी संस्थान का नाम वर्ष 2000 में जन शिक्षण संस्थान किया गया एंव मै भी इसी संस्थान में कार्यरत हूं। मै इस संस्थान का स्थायी कर्मचारी हूं। अप्रेल 2021 से मुझे कार्यक्रम अधिकार पद का अतिरिक्त कार्यभार देते हुए मेरा वेतन 14000/- से 26000/- प्रतिमाह कर दिया गया। इस पद पर बढे हुए वेतन के बदले मे जन शिक्षण संस्थान की निदेशक श्ेवता आनन्द जी स्वंय एंव अध्यक्ष डा0 अनंत भटनागर के लिए प्रतिमाह 4000/- रूपये के हिसाब से पिछले 12 महिनो के करीब 48000/- रूपये की रश्वित मांग रहे है। मैने हाथाजोडी एंव मिन्नत की तो 40,000/- रूपये लेने पर राजी हो गए तथा 20,000/- रूपये उन्होने एक दो दिनो मे ही मांगे हैं। मै इन्हे रिश्वत नही दूंगा तो मुझे निदेशक श्रीमती श्वेता आनन्द कई प्रकार से तंग कर सकती है। श्वेता आनन्द कई प्रकार से तंग कर सकती है व पूर्ण निष्ठा से काम करने के बावजूद भी वह मेरे द्वारा निष्पादित कार्यो में कमिंया निकाल कर परेशान करती आ रही है। निदेशक महोदया बहुत ही चालाक है एंव वह ज्यादातर इशारो मे ही बात करती है तथा अध्यक्ष के नाम का ज्यादा प्रयोग करती है। रिश्वत राशि निदेशक महोदया को ही दी जानी एंव वंह संस्थान की आहरण वितरण अधिकारी भी है तथा वही रिश्वत राशि प्राप्त करेंगी। मै निदेशक जन शिक्षण संस्थान अजमेर को रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा इन्हे पकडवाना चाहता हूं।कृपया कार्यवाही करने का कष्ट करें। धन्यवाद दिनांक 03/05/2024 प्रार्थी (शैलेन्द्र कुमार) 9413228375 कार्यावाही पुलिस एसीबी अजमेर दिनांक 03.05.2024 समय - 09.50 ए.एम. उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री रोशन लाल उम्र 54 साल जाति कश्यप निवासी राजीव कॉलोनी, शान्तीपुरा वैशाली नगर पुलिस थाना क्रिश्च्यनगंज अजमेर मोबाईल नम्बर 9413228375 ने कार्यालय मे उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर श्री भागचन्द्र को प्रस्तुत की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से उपरोक्तानुसार परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये। मन् निरीक्षक पुलिस उक्त प्रार्थना पत्र व परिवादी सहित अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आयी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया गया तो स्वंय का हस्त लिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो बताया कि " मेरी नियुक्ति वर्ष 1993 में मे श्रमिक विधापीठ, अजमेर मे इसी संस्थान का नाम वर्ष 2000 में जन शिक्षण संस्थान किया गया एंव मै भी इसी संस्थान में कार्यरत हूं। मै इस संस्थान का स्थायी कर्मचारी हूं। यह संस्थान भारत सरकार की कौशल विकास एंव उधम्ति मत्रांलय, नई दिल्ली के अधीन कार्यरत है। इस संस्थान को भारत सरकार के सालाना करीब 50 लाख रूपये का बजट मिलता है जिससे निदेशक, मेरी व अन्य कर्मचारियो के वेतन भत्ते, संस्थान द्वारा चलाये जा रहे कार्यकर्मो के अनुदेशक के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय समस्त राशि भारत सरकार से ही प्राप्त होती है। अप्रेल 2021 से मुझे कार्यक्रम अधिकारी पद का अतिरिक्त कार्यभार देते हुए मेरा वेतन 14000 रूपये से बढाकर 26000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया। मै अपने मूल काम के अतिरिक्त इस कार्य को का रहा हूं। इस पद पर बढे हुए वेतन के बदले मे जन शिक्षण संस्थान की निदेशक श्ेवता आनन्द जी स्वंय एंव अध्यक्ष डा0 अनंत भटनागर के लिए प्रतिमाह 4000 रूपये के हिसाब से पिछले 12 महिनो के करीब 48000 रूपये की रश्वित मांग रहे है। इसके अलावा भी निदेशक हमारे कार्यालय के बृजराज तूनवाल तथा कार्यकर्म चलाने वाले अनुदेशको से भी रिश्वत की मांग करती है मजबूरी वश उन्हे रिश्वत की हां भरनी पडती है। दिनांक 29.04.2024 को हमारे ऑफिस मे मिटींग थी उस दिन मैने अध्यक्ष व निदेशक के सामने हाथाजोडी एंव मिन्नत की तो 40,000 रूपये लेने पर राजी हो गए तथा 20,000 रूपये उन्होने एक दो दिनो मे ही मांगे हैं। अध्यक्ष अनंत भटनागर तो कार्यालय मे जब मिटींग होती है तभी आते है। निदेशक ऑफिस मे प्रतिदिन आती है। वंह संस्थान की आहरण वितरण अधिकारी भी है तथा वही रिश्वत राशि प्राप्त करेंगी। मै निदेशक जन शिक्षण संस्थान अजमेर को रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा इन्हे पकडवाना चाहता हूं। मेरी निदेशक श्वेता आनन्द से किसी प्रकार की कोई रंजिश व उधार कर लेनदेन या अन्य किसी भी प्रकार का लेनदेन नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे अवगत करवाया जिस पर परिवादी ने बताया कि मै अभी जाकर श्रीमती श्वेता आनन्द से हमारे पंचशील कॉलोनी स्थित जन

शिक्षण संस्थान, अजमेर कार्यालय जाकर रिश्वत के सम्बन्ध मे बात कर लूंगा। समय 11.10 ए.एम पर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे हुये वायॅस रिकॉर्डर को मंगवाया जाकर उसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर वायॅस रिकॉर्डर को ऑपरेट करना परिवादी को समझाया गया। श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62 को कक्ष मे तलब किया जाकर परिवादी से आपस मे परिचय करवाया तथा परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु जन शिक्षण संस्थान कार्यालय पंचशील नगर अजमेर जाने की हिदायत दी गई। समय 11.20 पीएम पर श्री कैलाश चारण हैड कानि को वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु रूख्सत किया गया। समय 12.45 पीएम पर श्री कैलाश चारण हैड कानि मय परिवादी के उपस्थित आया वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को बन्द अवस्था में पेश किया । वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि आपके कार्यालय से मै अपनी स्कूटी से व कैलाश जी अपनी मोटर साईकिल से पंचशील नगर स्थित जनं शिक्षण संस्थान कार्यालय से करीब 20-30 मीटर पहले पहुंचें। कैलाश जी ने ने मुझे वायॅस रिकॉर्डर चालू करके दे दिया। मै इनके पास से स्कूटी पर रवाना रवाना हो गया। मै हमारे ऑफिस गया तथा निदेशक मैडम श्वेता आनन्द से बात की तो 20000 रूपये उसे आज ही देने है तथा बाकी के 20 हजार रूपये बाद में देने है। मैने उसे कुछ कम करने के लिये कहा तो उसने कहा कि एक बार 20 हजार दो तो बात करते है। मै उससे बात कर ऑफिस से बाहर आया तथा कैलाश जी के पास आ गया इन्होने वायॅस रिकॉर्डर मेरे से प्राप्त कर बन्द कर अपने पास मे रखा तथा वंहा से रवाना होकर हम आपके पास आ गये। श्री कैलाश चारण हैड कानि0 द्वारा परिवादी के बताये तथ्यो की ताईद की गई। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा प्रस्तुत शुदा वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो रिश्वत राशि सम्बन्धी वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। हालात से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करवाया गया। परिवादी ने बताया कि आज श्वेता आनन्द को रिश्वत राशि दी जानी है परन्तु मेरी माताजी की तबियत खराब है। मुझे कभी भी घर से बुलावा आ सकता है इसलिये आगे की कार्यवाही दो तीन दिन बाद सोमवार को रखी जावें जिस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत दी जाकर रूख्सत किया वायॅस रिकॉर्डर को मैने मेरी अलमारी मे सुरक्षित रखा। दिनांक 06.05.2024 समय 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार कार्यालय मे उपस्थित आया तलब शुदा गवाह श्री माणक चन्द पुत्र श्री बाबूलाल जाति मेघवाल उम्र 31 साल निवासी गांव भैसंडा खुर्द, पोस्ट बडाईली तहसील रियांबडी जिला नागौर हाल वरिष्ठ पटवारी पटवार हल्का कोटडा तहसील व जिला अजमेर व श्री खेमराज पुत्र श्री भीम सिंह जाति रावत उम्र 50 साल निवासी गांव काकंणदा भूणाबाय पुलिस थाना सिविल लाईन्स जिला अजमेर हाल पटवारी पटवार हल्का पालरा तहसील अजमेर जिला अजमेर उपस्थित आये जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय दिया जाकर उपरोक्तानुसार परिचय प्राप्त किया गया। मन् निरीक्षक के पास मौजूद परिवादी का आपस मे गवाहो से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दिखाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। मन् निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड है को अलमारी से बाहर निकाल कर चालू करके गवाहान को सुनाया गया। वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। समय 10.20 ए.एम. पर परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री बच्छराज सिंह उप निरीक्षक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर श्री बच्छराज सिंह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडर युक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा सभी का आपस मे परिचय करवाया गया एवं की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 11.20 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड, परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार, स्वतन्त्र गवाह श्री माणक चन्द, श्री खेमराज , श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन, परिवादी की सकूटी/स्टॉफ की स्कूटी से ट्रेप कार्यवाही हेतु जन शिक्षण संस्थान, पंचशील नगर अजमेर के लिये रवाना हुये। समय 11.45 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पंचशील नगर स्थित जन शिक्षण संस्थान कार्यालय से थोडा पहले पहुंचे। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। पहुंचे। परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द कर जन शिक्षण संस्थान पंचशील अजमेर के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी के पीछे पीछे हमराहीयान सहित हुई। समय 11.52 ए.एम. पर परिवादी शैलेन्द्र को वायॅस रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द कर जन शिक्षण संस्थान कार्यालय अजमेर के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी के पीछे पीछे ही जन शिक्षण संस्थान कार्यालय अजमेर के बाहर की तरफ रवाना होकर मुकीम हुई । समय करीब 12.04 पीएम पर परिवादी शैलेन्द्र कुमार ने जरिये मोबाईल फोन श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62 के

मोबाईल फोन पर रिश्वत राशि आदान-प्रदान बाबत ईशारा किया। श्री कैलाश चारण हैड कानि0 62 ने ईशारो से मन् निरीक्षक पुलिस को रिश्वत राशि आदान प्रदान का ईशारा बताया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाहान व स्टॉफ के अन्य सदस्यों को जन शिक्षण संस्थान बुलाया। मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह श्री माणकचन्द, श्री खेमराज मय एसीबी स्टॉफ के सदस्य श्री कैलाश चारण हैड कानि0 नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321 के जन शिक्षण संस्थान कार्यालय पंचशील नगर अजमेर के अन्दर प्रवेश किया जंहा पर परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार के कक्ष में बैठे हुये नजर आये मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री शैलेन्द्र कुमार से वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त किया जाकर उसे बन्द किया गया। श्री शैलेन्द्र ने बताया कि निदेशक मैडम ने मेरे से बीस हजार रूपये लेकर अकाउन्टेंट रजत को बीस हजार रूपये दे दिये जैसे ही आपको आता देख उसने पैसे मैडम की टेबल पर ही रख दिये वो बीस हजार रूपये अभी भी टेबल पर ही पडे। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री शैलेन्द्र द्वारा बताई गई एक महिला जिसने बैगंनी रंग की साडी पहनी हुई थी कि तरफ ईशारा कर बताया कि यही निदेशक मेडम श्रीमती श्वेता आनन्द है जिन्होने मेरे से बीस हजार रूपये प्राप्त किये और इन्हे नोटो पर पाउडर लगने का शक भी हो गया था। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त महिला को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो अपना नाम श्रीमती श्वेता आनद पत्नी श्री आनन्द फैलिक्स उम्र 44 साल जाति क्रिश्चयन निवासी कृष्ट राजा आश्रम के पास मदार हाल निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, अजमेर होना बताया। श्रीमती श्वेता आनन्द को आने के प्रयोजन से अवत करवाया पूछने पर श्रीमती श्वेता आनन्द ने बताया कि श्री शैलेन्द्र ने अभी मुझे 20000 रूपये दिये जो मैने रसीद काटने के लिये अकाउण्टेंट रजत को दिये थे। ये रूपये अभी टेबल पर ही रखे हुये है। श्रीमती श्वेता आनन्द से पूछा गया कि अपनी संस्थान के ही कार्मिक से किस बात की रसीद जिस पर श्रीमती श्वेता ने बताया कि इनका वेतन पहले मेरे आने से पहले ही संस्थान द्वारा बढा दिया गया था तथा पहले से ही इनके तथा संस्थान/चैयरमेन के बीच में क्या कमिटमेन्ट थी इसकी मुझे जानकारी नही है मैने तो इन पैसो की रसीद काटने के लिये कह दिया था। मौके पर मौजूद परिवादी ने बताया कि यह पैसा रिश्वत का ही है इनको शक हो गया था इसलिये इन्होने तुरन्त ही रजत को बुलाकर रसीद काटने के लिये बोल दिया परन्तु इन पैसो की कोई रसीद नही कटती नाही मेरे सामने रसीद काटने की बात इन्होने कही थी। बुलाये जाने पर एक व्यक्ति जिनसे गुलाब रगं की चौकडी शर्ट पहनी हुई थी आया स्वंय का नाम रजत होना बताते हुये संविदा पर बतौर लेखाकार संस्थान में नवम्बर 2022 से कार्यरत होना एंव दिनांक 01.04.2024 को अपना इस्तीफा संस्थान में दे दिया। मै दिनांक 10.05.2024 से यंहा से कार्यमुक्त होने वाला था। पूरा नाम पता पूछने पर रजत कनौजिया पुत्र स्व0 श्री मेवालाल कनौजिया जाति धोबी उम्र 26 साल निवासी मकान नम्बर 1284 कोटडा आवासीय योजना, कोटडा अजमेर मोबाईल नम्बर 9982452317 होना बताया। पूछने पर बताया कि अभी-अभी निदेशक मैडम ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया इनके पास मे पहले से श्री संस्थान के श्री शैलेन्द्र कुमार जी बैठे हुये थे। मैडम ने मुझे 20000 रूपये देते हुये कहा कि इनकी रसीद काट दो। मैने कहा कि किसमें रसीद काटूं तो मैडम ने कहा कि चैक बनवा के रसीद काट लेना। मैने कहा कि चैक तो कैसे बनेगा उसके बाद मैडम ने कहा कि हॉल रेन्ट का बना दो। फिर मै इन रूपयो को यंही पर रख कर चला गया तथा मै वापस आता इतनी देर मे आप लोग आ गये। चूकिं परिवादी से 20000 रूपये लिये जाने की पुष्टि हो चुकी है तथा बताये अनुसार 500-500 रूपये के नोट टेबल पर रखे हुये नजर आ रहे है। जिसे गवाह श्री खेमराज से उठवाया गया तो 500-500 रूपये 40 नोट कुल 20000 रूपये होना बताया जिनका मिलान दोनो गवाहान को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना तथा 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20000 रूपये होना बताया गया। उक्त रिश्वत राशि को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एन" अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात जन शिक्षण संस्थान कार्यालय परिसर से ही पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपिता श्रीमती श्वेता आनन्द के दाहिने हाथ व बायें हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दोनो हाथो के धोवण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने व बांये हाथ के धोवण को पृथक पृथक दो-दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आरएच 1 , आरएच 2, एलएच 1 व एलएच 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्री रजत कनौजिया के हाथो के धोवण हेतु जन शिक्षण संस्थान कार्यालय से ही पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री रजत कनौजिया के दाहिने हाथ व बायें हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दोनो हाथो के धोवण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने व बांये हाथ के धोवण को पृथक पृथक दो-दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आरएच 1 , आरएच 2, एलएच 1 व

एलएच 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात जिस स्थान पर रिश्वत राशि रखी हुई थी उस स्थान का धोवण लिये जाने हेतु एक ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात जिस स्थान पर रिश्वत राशि रखी हुई थी टेबल के उस स्थान पर सुखी कोटन को रगडा जाकर उक्त कोटन को उक्त घोल मे डुबोया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर उक्त धोवण को पृथक पृथक पृथक शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः टी 1 व टी 2, अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसी दौरान संस्थान के अध्यक्ष श्री अनन्त भटनागर कार्यालय मे उपस्थित आये जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय दिया जाकर पूरा परिचय पूछा तो अपना नाम अनन्त भटनागर पुत्र श्री जी0पी0 भटनागर उम्र 57 साल जाति कायस्थ निवासी 66 कैलाशपुरी क्रिश्च्यनगंज अजमेर हाल अध्यक्ष जन शिक्षण संस्थान अजमेर होना बताते हुये विजय सिंह पथिक श्रमजीवी महाविधालय अजमेर का प्राचार्य होना बताते हुये अवगत करवाया था कि शैलेन्द्र कुमार जो कि हमारी संस्थान मे स्टेनो के पद पर कार्यरत है वर्ष 2021 मे इन्हे प्रोग्रामर के पद पर लगाकर इनका वेतन बढाया गया था। मेरी जानकारी मे यह तथ्य नही है कि इनके द्वारा श्रीमती श्वेता आनन्द निदेशक को 40000 रूपये देने थे तथा आज श्रीमती श्वेता आनन्द द्वारा इनसे बीस हजार रूपये लिये इसकी मुझे जानकारी नही है। वायॅस रिकॉर्डर जो मन् निरीक्षक के पास सुरक्षित है, को सुना गया तो वार्ता में श्रीमती श्वेता आनन्द द्वारा रसीद काटने के शब्द का जिक्र होना पाया गया है जिस बाबत परिवादी ने बताया कि इन्हे पैसे लेते वक्त शक हो गया था इसलिये रसीद का इन्होने बोला तथा चैक से जमा करवाने का बोला मै इसी संस्थान का कार्मिक हूं मै इन्हे किस बात के 20000 रूपये देता तथा दिनांक 03.05.2024 को हुई हमारी वार्ता में मैने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सैलेरी बढी तथा हम एक्स्ट्रा काम भी कर रहे है मैने इन्हे 40000 रूपये मे से कम कराने का कहा था तब इन्होने कहा था कि पहले 20000 रूपये दो तो सर से बात करती हूं। बीस हजार रूपये इन्हे उसी दिन देने थे। वार्ता मे श्रीमती श्वेता आनन्द द्वारा हॉल रेन्ट के नाम पर रसीद काटने का कहा था इस सम्बन्ध मे पूछने पर श्रीमती श्वेता आनन्द ने बताया कि इनके द्वारा जो बीस हजार रूपये दिये थे उनका किसी से चैक लेकर हॉल रेन्ट की एवज मे रसीद कटवाती। पूछने पर श्रीमती श्वेता आनन्द ने बताया कि इसी परिसर में एक हॉल बना हुआ है जिसकी बुकींग हमारी संस्थान द्वारा की जाती है। श्री शैलेन्द्र कुमार ने इस बात का खण्डन स्वतः ही किया जाकर बताया कि मैने कोई हॉल बुक नही करवाया और में यंहा का ही कार्मिक हूं। मैडम बिलकुल ही झूठ बोल रही है। ये बीस हजार रूपये इन्होने बतौर रिश्वत राशि ही मेरे से प्राप्त किये गये है तथा रिश्वत राशि मेरे बढे हुये वेतन की एवज मे ही प्राप्त किये गये है। श्री शैलेन्द्र कुमार को कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति से सम्बन्धित कागजात प्रस्तुत करने की कहने पर कार्यालय में से श्री रजत कनौजिया द्वारा जन शिक्षण संस्थान, अजमेर की नोटशीट दिनांक 29.09.2021 प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किया गया तो श्री शैलेन्द्र कुमार हिन्दी स्टेनो को दिनांक 01.04.2024 से हिन्दी स्टेनो-कार्यक्रम अधिकारी के पद पर अतिरिक्त कार्य प्रभार देते हुये वेतन 26000 रूपये वेतन दिये जाने पर नियुक्त किया गया। उक्त नोट शीट पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। श्री शैलेन्द्र कुमार व श्रीमती श्वेता आनन्द की सैलेरी स्लीप चाहे जाने पर श्री रजत द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार की सैलेरी स्लीप माह मार्च 2024 की प्रस्तुत की जिसके अनुसार श्री शैलेन्द्र का ग्रोस 26000 रूपये मासिक वेतन होकर 24200 रूपये शुद्व वेतन प्राप्त हुआ है। श्रीमती श्वेता आनन्द को कुल 32500 रूपये मासिक वेतन आहरित होकर 30700 रूपये शुद्व वेतन मार्च 2024 मे प्राप्त हुआ है। कार्यालय की सैलेरी शीट अप्रेल 2024 की प्राप्त की गई जिसका अवलोकन किया गया तो श्रीमती श्वेता आनन्द का क्रम संख्या 1 व श्री शैलेन्द्र का क्रम संख्या 03 पर विवरण अंकित है। उक्त सभी दस्तावेजात पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। श्री शैलेन्द्र को मार्च 2021 मे प्राप्त वेतन से सम्बन्धित दस्तावेजात एंव अप्रेल 2021 को प्राप्त वेतन से सम्बन्धित दस्तावेजात के प्रत्येक पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। श्री शैलेन्द्र कुमार को मार्च 2021 तक 13987 रूपये का भुगतान किया गया। अप्रेल 2021 से अगस्त 2021 तक बढे हुये वेतन का भुगतान एरियर के रूप में 60065 रूपये का भुगतान किया गया। सम्बन्धित दस्तावेजात पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। जन शिक्षण संस्थान द्वारा नकद रूपये लेकर दी जा रही रसीदो के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करने पर श्री रजत कनौजिया ने जन शिक्षण संस्थान अजमेर की 5 रसीद बुक प्रस्तुत की जिसका विवरण इस प्रकार है 1. रसीद क्रमांक 3601 दिनांक 09.09.20 से 3700 दिनांक 04.10.2021 भरी हुई 2.रसीद क्रमांक 3701 दिनांक 04.10.21 से 3800 दिनांक 04.02.2022 भरी हुई 3.रसीद क्रमांक 3801 दिनांक 04.02.2022 से 3900 दिनांक 11.01.2023 भरी हुई 4.रसीद क्रमांक 3901 दिनांक 11.01.2023 से 4000 दिनांक 15.12.23 भरी हुई 5.रसीद क्रमांक 4001 दिनांक 15.12.23 से 4100 तक है। रसीद नम्बर 4080 दिनांक 01.05.2024 तक भरी शेष खाली। उक्त रसीदो के प्रथम व अन्तिम पेजो पर समी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। श्री रजत कनौजिया की नियुक्ति व इस संस्थान को दिये गये इस्तीफा की मूल प्रति प्रस्तुत की। जिसका अवलोकन किया गया तो श्री रजत कनोजिया की दिनांक 31.10.2022

को अकाउन्टेंट कम मैनेजर के पद पर नियुक्ति हुई थी। रजत द्वारा दिनांक 01.04.2024 से इस्तीफा दिया गया जो दिनांक 30.04.2023 को दिनांक 10.05.2024 से निदेशक द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त दस्तावेज पत्र पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। प्रार्थना पत्र की छायाप्रतिं वापस लौटाई गई। समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलाई पृथक से मुर्तिब की गई। घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। आरोपिता श्रीमती श्वेता आनन्द फैलिक्स उम्र 44 साल जाति क्रिश्चयन निवासी कृष्ट राजा आश्रम के पास मदार अजमेर हाल निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, अजमेर द्वारा जन शिक्षण संस्थान अजमेर को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। समय 07.15 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपिता श्वेता आनन्द मय हमराहीयान मय जब्त शुदा आर्टिकल,रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वायॅस रिकॉर्डर आदि के आरोपिता को मेडिकल मुआयना जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर से करवाकर उपस्थित आये। परिवादी व गवाहो के रूख्सत कर दिनांक 07.05.2024 को समय 09.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। जब्त शुदा आर्टिकल व वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। समय 07.30 पीएम पर आरोपिता को पुलिस थाना सिविल लाईन में बन्द करवाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर के नाम के नाम तहरीर जारी की जाकर श्री रविन्द्र कानि व श्रीमती रूचि महिला कानि के हमराह आरोपिता श्वेता आनन्द को सरकारी वाहन मय चालक के भिजवाया गया। समय 08.45 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि व श्रीमती रूचि उपाध्याय पुलिस थाना सिविल लाईन्स की हवालात में जमा करवाकर कार्यालय मे उपस्थित आये। दिनांक 07.05.2024 समय 09.00 ए.एम. पर परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार एंव गवाह श्री माणक चन्द तथा श्री खेमराज कार्यालय मे उपस्थित आये। 09.15 ए.एम पर परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 03.05.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर मे लगे 32 जी.बी. एस.डी. कार्ड मे रिकार्ड है, को शब्द ब शब्द सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की। मूल मेमोरी कार्ड सहित वॉयस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चार डीवीडी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार की जाकर वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर प्लास्टिक के बॉक्स मे रखा जाकर उसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एम.डी अंकित किया गया। दो डीवीडी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उन्हे पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में पृथक पृथक रखा जाकर सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एम.डी. 1 एंव एम.डी 2 अंकित किया गया। अन्य दो डीवीडी को पृथक पृथक कागज के डीवीडी कवर मे सुरक्षित रखा गया। इसी दौरान पुलिस थाना सिविल लाईन की हवालात में बन्द आरोपिता को लाने एसीबी स्टॉफ श्री रविन्द्र सिंह व श्रीमती रूचि को भिजवाया गया जो आरोपिता श्रीमती श्वेता आनन्द को लेकर कार्यालय मे उपस्थित आये,जिन्हे बैरिक मे बैठाया गया। समय 11.40 ए.एम. पर परिवादी व आरोपिता के मध्य रिश्वत राशि लेनदेन के समय दिनांक 06.05.2024 के हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर मे लगे 32 जी.बी. एस.डी. कार्ड मे रिकार्ड है, को शब्द ब शब्द सुनकर ट्रांसस्क्रिप्ट बनाई गई, जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। वॉयस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर कम्प्यूटर की सहायता से चार डीवीडी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार की जाकर वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर प्लास्टिक के बॉक्स मे रखा जाकर उसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एम.आर अंकित किया गया। दो डीवीडी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उन्हे पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में पृथक पृथक रखा जाकर सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एम.आर. 1 एंव एम.आर 2 अंकित किया गया। अन्य दो डीवीडी को पृथक पृथक कागज के डीवीडी कवर मे सुरक्षित रखा गया। समस्त आर्टिकल मालखाना में जमा करने हेतु श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 को को सुपुर्द किये गये। गवाहो व परिवादी को रूख्सत किया गया। प्रकरण में श्री रजत कनौजिया अकाउण्टेन्ट (संविदाकर्मी) जन शिक्षण संस्थान अजमेर का उक्त रिश्वत राशि के आदान प्रदान में कोई भूमिका नही रही है। प्रकरण में श्री अनन्त भटनागर अध्यक्ष जन शिक्षण संस्थान अजमेर की इस मामले मे भूमिका बाबत विस्तृत अनुसंधान से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपिता श्रीमती श्वेता आनन्द पत्नी श्री आनन्द फैलिक्स उम्र 44 साल जाति क्रिश्चयन निवासी कृष्ट राजा आश्रम के पास मदार अजमेर हाल निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, अजमेर द्वारा जन शिक्षण संस्थान अजमेर मे अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने पदीय कृतव्यो के विपरित परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री रोशन लाल उम्र 54 साल जाति कश्यप निवासी राजीव कॉलोनी, शान्तीपुरा वैशाली नगर पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज अजमेर जो कि वर्ष 1993 से श्रमिक विधा पीठ/जन शिक्षण संस्थान अजमेर में कार्यरत है। अप्रेल 2021 में श्री शैलेन्द्र कुमार को कार्यक्रम अधिकारी के पद पर 26000 रूपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाकर 14000 रूपये से 26000 रूपये के बढे हुये वेतन की एवज में से बतौर पारितोषण वैध पारिश्रमिक से भिन्न रिश्वत राशि प्रति माह 4000 रूपये के हिसाब से रिश्वत की मांग करना एंव विगत 12 महिने मे प्राप्त वेतन में से दी जाने वाली रिश्वत राशि जो बकाया थी की एवज में दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 40000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एंव 20000

रूपये रिश्वत राशि उसी दिन दिये जाने बाबत वार्ता करना एंव उक्त वार्ता के अनुसरण में दिनांक 06.05.2024 को रिश्वत राशि 20000 रूपये परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार से अपने हाथो में प्राप्त कर जन शिक्षण संस्थान अजमेर के अकाउण्टेन्ट (संविदाकर्मी) श्री रजत कनौजिया को दी गई जो रिश्वत राशि श्री रजत कनौजिया द्वारा श्रीमती श्वेता आनन्द निदेशक के कक्ष में श्रीमती श्वेता आनन्द के सामने रखी हुई टेबल के उपर से बरामद होना पाया गया है। आरोपिता के दोनो हाथो के अगुंलियो के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपिता श्रीमती श्वेता आनन्द पत्नी श्री आनन्द फैलिक्स उम्र 44 साल जाति क्रिश्च्यन निवासी कृष्ट राजा आश्रम के पास मदार अजमेर हाल निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है। (मीरां बेनीवाल) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपिता श्रीमती श्वेता आनन्द पत्नी श्री आनंद फैलिक्स निवासी कृष्ट राजा आश्रम के पास मदार अजमेर हाल निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री दीनदयाल वैष्णव, पुलिस निरीक्षक,भ्रनिब्यूरो,अजमेर को मनोनित किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 105 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 369-72 दिनांक 07.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2 अध्यक्ष, जन शिक्षण संस्थान पंचशील नगर, अजमेर। 3उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर । पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DEENDAYAL VAISHNAV **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/05/2024 19:27:59

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	04/06/1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)